प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 06/08/2026

थाना चौरी पु लस टीम द्वारा अपनी ही बेटी की गैर इरादतन हत्या करने वाले अ भयुक्त को आलाकत्ल (लकड़ी के टुकड़े) के साथ कया गया गरफ्तार ।

घटना का सं क्षप्त ववरण:

दिनांक 05/08/2026 को शाम करीब 04:00 बजे ग्राम वेदमनपुर में वादी सन्तोष यादव की पत्नी रानी यादव अपने पुराने घर से लकड़ी लेने गयी थीं। वहाँ मौजूद उनके छोटे भाई राजेश यादव ने ववाद व गाली-गलौज करते हुए लकड़ी से हमला करने का प्रयास कया। बीच-बचाव करने आयी राजेश की 17 वर्षीय पुत्री के सर पर राजेश ने गुस्से में लकड़ी के टुकड़े से वार कर दिया। गंभीर चोट के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चौरी पर मु0अ0सं0 129/2026 धारा 115(2)/352/105 बी0एन0एस0 पंजीकृत कर व धक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अ भयुक्तों के गरफ्तारी अ भयान के क्रम में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06/08/2026 को थाना चौरी पु लस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन परसीपुर के वन वभाग के पास से घेराबंदी करके अ भयुक्त राजेश यादव को गरफ्तार कया गया। अ भयुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (लकड़ी का टुकड़ा) बरामद हुआ। व धक कार्यवाही के उपरान्त अ भयुक्त का चालान मा0 न्यायालय कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

राजेश यादव पुत्र सरजू प्रसाद यादव, निवासी ग्राम वेदमनपुर, थाना चौरी, जनपद भदोही (उम्र करीब 45 वर्ष)।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 नथूनी संह, हे0का0 अबरार अहमद, का0 अरबिन्द कुमार थाना चौरी, जनपद भदोही।